कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–प्रारं/नियु प्रको/नियु–2/982/शि.भर्ती–2021–22/2021 दिनांक :– 19.1.22

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22

–::संशोधन::–

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम एवं अध्यापक लेवल द्वितीय हेतु जारी विज्ञापन संख्या 01/2021–22 दिनांक 31.12.2021 तथा 03/2021–22 दिनांक 31.12.2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

बिन्दू संख्या	प्रावधान	संशोधन
12.6 (ii)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग में आवेदन करने वाली **विवाहित महिला आवेदक** को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा एवं आरक्षित वर्ग के पद के लिये उसका आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।	(i) अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर क्रिमीलेयर वर्ग में नही होने का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/सहरिया वर्ग में आवदेन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शेष शर्ते एवं प्रावधान मूल विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेंगे।

(कान राम)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।

Scanned with CamScanner